संख्या-51/2016-1519 ई-2/तेरह-2016-61/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 22 जुलाई,2016

विषय:- मे0 दि अवध शुगर मिल्स लि0 (हरगॉव आसवनी) सीतापुर के पी0डी0-2 अनुज्ञापन की वार्षिक क्षमता 330 कार्यदिवस के आधार पर 300 लाख लाख लीटर से बढाकर 330 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-36/दो-प्रा0डी0-18, दिनांक 22 जून,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22 जून,2016 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 दि अवध शुगर मिल्स लि0 (हरगॉव आसवनी) सीतापुर की संचालन अवधि 300 कार्यदिवस से बढाकर प्रतिवर्ष 330 कार्यदिवस किये जाने तथा तद्नुसार अधिष्ठापित क्षमता 300 लाख लीटर से बढाकर 330 लाख लीटर वार्षिक किये जाने पर एतद्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग, केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था का पालन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in